न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : बलदेवाराम धोजक, RAS

अपील संख्या 84/2018

1 (मृतक) सवाई सिंह पुत्र बच्चन सिंह जाति राजपूत निवासी सोटवारा, तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनू राज.।
1/1 लाड कंवर उम्र 79 साल पत्नी स्व. सवाई सिह
1/2 सत्यपाल उम्र 56 साल पुत्र स्व. सवाई सिंह
1/3 बजरंग सिंह उम्र 53 साल पुत्र स्व. सवाई सिंह
1/4 रामस्वरूप उम्र 48 साल पुत्र स्व. सवाई सिंह
समस्त जातियान राजपूत निवासी सोटवारा तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनू।

अपीलांट

बनाम

1 नायब तहसीलदार मुकुन्दगढ़ जिला झुन्झुनू।
2 शेखावाटी ग्रामीण बैंक शाखा मुकुन्दगढ़।
3 प्रबन्धक एसबीबीजे शाखा मुकुन्दगढ़ जिला झुन्झुनू।
4 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नवलगढ़।
5 कल्याण सिंह पुत्र भादर सिंह जाति राजपूत निवासी सोटवारा तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनू।

रेस्पोडेन्ट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर

अपील विरूद्ध निर्णय दिनांक 20.07.2018 द्वारा
उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़ उनवानी मुकदमा
सवाई सिंह बनाम कल्याण सिंह प्रार्थना पत्र
अस्थाई निषेधाज्ञा मु.नं. 21/2016

उपस्थिति :

1. श्री उम्मेदराज सैनी, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री किशोर कुमार जांगिड़, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

—निर्णय—

दिनांकः— 15.10.24

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़ द्वारा मुकदमा नम्बर 21/2016 में पारित निर्णय दिनांक 20.07.2018 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में वादी अपीलांट ने एक प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा बाबत भूमि खसरा नम्बर 486, 492, 743/491, 754/486, 490, 491, 741/473 वाके ग्राम सोटवारा का पेश किया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि ग्राम सोटवारा में जीवणचन्द नाम व्यक्ति पैदा हुआ जिसके चिमन सिंह, बच्चन सिंह, भादर सिंह, नारायण सिंह पुत्र सन्तान पैदा हुए। जीवन सिंह के ग्राम सोटवारा में कब्जे काश्त की भूमि थी जो जमाबन्दी सम्वत 2055 से 2058 में

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

खाता सख्या 258, 130, 131, 13, 129 में अंकित थी। उक्त खाता संख्या की भूमि का पूर्व खातेदार जीवनसिंह था और जीवनसिंह की फौतगी के पश्चात उसके विधिक वारिसान उक्त भूमि पर काबिज काश्त हुये। उक्त काबिज काश्त की स्थिति उस समय के पटवारी हल्का एवं सेटलमेंट अधिकारियों ने त्रुटिपूर्ण तैयार कर दी जिसके बाबत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़ के समक्ष श्रवण सिंह आदि बनाम भंवर सिंह आदि के नाम से एक दावा दिनांक 13.12.1998 को पेश हुआ। उक्त दावा पक्षकारों के मध्य कन्टेस्ट था जिसमें प्रतिवादीगण सवाई सिंह, मिश्री कंवर, कल्याण सिंह, शैतान सिंह, समुद्र सिंह, किशोर सिंह, मु. रिशाल कंवर ने अपना जवाब दावा दिनाक 28.12.1998 को पेश कर दिया। इसके पश्चात विचारण न्यायालय ने उक्त दावे का निर्णय दिनांक 09.10.2001 को ग्राम सोटवारा स्थित राजस्व कैम्प में पक्षकारों को सुनवाई का समुचित अवसर दिये बिना ही कर दिया तथा इसी रोज बिना किसी कब्जे व अन्य दस्तावेज को आधार बनाये ही राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर दिया और नया राजस्व रिकार्ड नामान्तकरण संख्या 345 दिनांक 09.10.2001 के माध्यम से तैयार कर दिया जबकि उक्त नामान्तकरण संख्या 345 के आधार पर न तो जमाबन्दियों में कोई इन्द्राज हुआ और न ही ट्रेस नक्शा तैयार हुआ क्योंकि उक्त निर्णय विधि विरूद्ध था उक्त निर्णय से कुंठित होकर सवाई सिंह, मिश्री कंवर, कल्याण सिंह ने राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर कैम्प कोर्ट झुन्झुनू के यहां अपील पेश की जो अपील दिनांक 26.11.2001 को पेश की गई उक्त अपील पेश करने के पंश्चात दिनांक 27.11.2001 को अपीलीय न्यायालय ने दिनांक 09.10.2001 के निर्णय व डिक्री पर यथास्थिति बनाये रखे जाने का आदेश पारित कर दिया तथा मौका व राजस्व रिकार्ड की भी यथास्थिति बनाये रखे जाने का आदेश पारित हुआ। इस प्रकार से अपीलीय न्यायालय ने विचारण न्यायालय के आदेश को स्टे कर दिया। जिसका निर्णय दिनांक 09.12.2004 को इस आदेश के साथ किया गया कि विचारण न्यायालय का निर्णय दिनांक 09.10.2001 निरस्त किया जाता है पत्रावली को पुनः सुनवाई हेतु प्रतिप्रेषित किया गया, पक्षकारों को समुचित

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी * सीकर *

सुनवाई का अवसर प्रदान किये जाने का आदेश पारित किया गया। इस प्रकार से उनवानी दावा श्रवण सिंह बनाम भंवर सिंह आदि मु.नं. 183/98 का निर्णय आज तक नहीं हुआ लेकिन दिनांक 09.10.2001 को पटवारी हल्का के द्वारा नामान्तकरण संख्या 345 भरा गया उस नामान्तकरण के आधार पर जो विवादग्रस्त जमाबन्दी तैयार हुई उनमें तहसीलदार एवं पटवारी हल्का ने आज तक कोई परिवर्तन नहीं किया यानि कि एस.डी.ओ. के निर्णय दिनांक 09.10.2001 से पूर्व की स्थिति कायम नहीं की। गलत राजस्व रिकार्ड की वजह से पक्षकारों के मध्य वादग्रस्त भूमि को लेकर विवाद रहने लगे और एक दुसरे पर दावे करना शुरू कर दिया। विचारण न्यायालय के समक्ष रघुवीर सिंह बनाम सवाई सिंह मु.नं. 131/02 पेश हुआ जो स्थायी निषेधाज्ञा का दावा पेश हुआ। जबकि रघुवीर सिंह को इस बात का पूर्ण ज्ञान था कि निर्णय व डिक्री दिनांक 09.10.2001 की कियान्विती अपीलीय न्यायालय द्वारा स्थगित कर दी गई है फिर भी पक्षकारों के मध्य विवाद रहने की वजह से दावा पेश हुआ जिसका निर्णय दिनांक 26.05.2011 को उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़ ने सम्पूर्ण उल्लेख करते हुए किया कि उक्त दावा रघुवीर सिंह ने जिस राजस्व रिकार्ड के आधार पर दावा पेश किया है उस राजस्व रिकार्ड के बाबत अपीलीय न्यायालय के यहां अपील का निर्णय दिनांक 09.12.2004 को हो चुका और उक्त निर्णय के अनुसार 09.10.2001 के निर्णय को निरस्त कर दिया गया है इस प्रकार से निर्णय दिनांक 09.10.2001 के अनुसार राजस्व रिकार्ड में किया गया परिवर्तन भी निष्प्रभावी हो जाता है ऐसी स्थिति में रघुवीर सिंह का दावा चलने योग्य नहीं होने से खारिज कर दिया गया। फिर भी उक्त राजस्व रिकार्ड में कोई परिवर्तन नहीं किया गया और परिवर्तन के अभाव में पक्षकारों के मध्य विवाद लम्बित रहने लगे और गलत रिकार्ड के आधार पर रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 भूमि खसरा नम्बर 486 में से रास्ता कायम करने को अमादा हो गये। विचारण न्यायालय के समक्ष कल्याण सिंह बनाम बीरबल सिंह ने भी एक स्थायी निषेधाज्ञा का दावा दिनांक 03.07.2012 को पेश किया जिसमें कल्याण सिंह ने भी दावे में अंकित किया कि दिनांक 09.10.2001 के निर्णय व डिक्री के

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी * सीकर *

अनुसार जो गलत राजस्व रिकार्ड बन गया उस गलत राजस्व रिकार्ड में सुधार नहीं होने के कारण पक्षकारों के मध्य आपस में विवाद है और खातेदारान को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किये जाने की इश्तदुआ चाही। स प्रकार से रेस्पोडेन्ट नम्बर 5 भी स्वीकार करते है कि विचारण न्यायालय के निर्णय व डिक्री दिनांक 09.10.2001 की पालना में बना राजस्व रिकार्ड का कोई महत्व नहीं रह जाता लेकिन फिर भी रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 को उक्त गलत राजस्व रिकार्ड का ज्ञान होते हुए भी भूमि खसरा नम्बर 486 में से विधि विरूद्ध तरीके से रास्ता कायम करने को आमादा है। विचारण न्यायालय के समक्ष अपीलान्ट के दावा स्थायी निषेधाज्ञा का इस आशय का पेश किया कि रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 भूमि खसरा नम्बर 486 में से रास्ता कायम करने को आमादा है और अपीलान्ट की भूमि जिस पर वह काबिज है खसरा नम्बर 486, खसरा नम्बर 492, खसरा नम्बर 491 में किसी प्रकार की दखल अन्दाजी न तो स्वयं करे और न ही किसी अन्य से करावें। जिस पर विचारण न्यायालय ने प्रकरण को दर्ज रजिस्टर कर साथ में अस्थायी निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र पर सुनवाई कर स्थगन आदेश दिनांक 27.01.2016 कोइ इस आशय का जारी किया कि भूमि खाता संख्या 383 के खसरा नम्बर 486, 492, 743/791, 754/486 में अनावेदकगण आगामी तारीख पेशी तक विवादित आराजीयात के मौके व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें। इस प्रकार से विचारण न्यायालय ने उक्त प्रकरण में प्रथम दृष्टया स्थगन आदेश पारित कर दिया। विचारण न्यायालय के समक्ष अपीलान्ट ने यह स्थिति पूर्णतया स्पष्ट कर दी कि श्रीमान के समक्ष जो राजस्व रिकार्ड निर्णय व डिक्री दिनांक 09.10.2001 की पालना में तैयार हुआ है उस निर्णय व डिक्री को तो दिनांक 09.12.2004 के अपीलीय निर्णय के द्वारा निरस्त कर दी गई है। विचारण न्यायालय ने अपने निर्णय में प्रथमदृष्टया मामला जमाबन्दी सम्वत 2067 से 2070 ग्राम सोटवारा के अवलोकन को आधार बनाकर के तय किया है जबकि विचारण न्यायालय के समक्ष अपीलान्ट ने स्थिति स्पष्ट कर दी थी कि जो राजस्व रिकार्ड दिनांक 09.10.2001 को तैयार किया गया है वह राजस्व रिकार्ड अस्तित्व में नहीं है।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनू)

विचारण न्यायालय ने सुविधा का संतुलन व अपूर्णीय क्षति को भी राजस्व रिकार्ड के आधार पर अपीलान्ट के विरूद्ध तय किये जाने में भारी कानूनी भूल की है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नहीं माना जा सकता है। अपील स्वीकार की जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने तर्क दिया कि जमाबन्दी संवत 2067 से 2070 ग्राम सोटवारा के अनुसार खसरा नम्बर 486/4.73, 492/1.51, 743/491/1.10 हैक्टेयर की खातेदारी सवाईसिंह पुत्र बच्चन सिंह जाति राजपूत सा.दे. खातेदारी दर्ज रिकार्ड है। पत्रावली में संलग्न नामान्तकरण संख्या 388 निर्णय दिनांक 27.05.2003 ग्राम सोटवारा के अनुसार खसरा नम्बर 486 रकबा 4.85 हैक्टेयर जो सवाई सिंह पुत्र बच्चनसिंह जाति राजपूत की खातेदारी में दर्ज रिकार्ड है मे से समर्पण पत्र द्वारा 0.12 हैक्टेयर भूमि गै. मु. रास्ते बाबत राजहक में समर्पण की है। अतः उक्त रिकार्ड से स्पष्ट है कि खसरा नम्बर 486 में से आवेदक स्वयं द्वारा 0.12 हैक्टेयर भूमि राजहक में रास्ते प्रयोजनार्थ समर्पण किया है। शेष खसरा नम्बरान आज भी आवेदक के स्वयं की खातेदारी में दर्ज रिकार्ड है। चूंकि स्वयं खातेदार द्वारा अपनी खातेदारी भूमि में से रास्ता प्रयोजनार्थ भूमि राजहक में समर्पण किये जाने के पश्चात उस भूमि से उसके खातेदारी अधिकार समाप्त हो जाते है वर्तमान में भूमि राजकीय होने से अनावेदक नम्बर 2 को नियमानुसार कार्यवाही करने के अधिकार कानूनन प्राप्त है। उक्त सभी तथ्यों के परिपेक्ष्य में प्रकरण प्रथम दृष्टया आवेदक का नहीं बनता है। चूंकि प्रार्थना पत्र में वर्णित खसरा नम्बर 486/4.73, 492/1.51, 743/491/1.10 हैक्टेयर की खातेदारी सवाईसिंह पुत्र बच्चनसिंह जाति राजपूत सा.दे. खातेदार दर्ज रिकार्ड है जो स्वयं आवेदक की खातेदारी भूमि है। शेष भूमि खसरा नम्बर 754/486 रकबा 0.12 हैक्टेयर गै.मु. रास्ते के रूप में दर्ज रिकार्ड है अतः उक्त भूमि पर सुविधा संतुलन आवेदक का नहीं बनने के कारण अपूर्णीय क्षति आवेदक को नहीं हो रही है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय ने विचाराधीन निर्णय से प्रार्थी अपीलांट का

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिक
सीकर(कैम्प झुन्झनूं)

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर

आवेदन खारिज करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अपील सारहीन है। खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि जमाबन्दी संवत 2067 से 2070 ग्राम सोटवारा के अनुसार खसरा नम्बर 486/4.73, 492/1.51, 743/491/1.10 हैक्टेयर की खातेदारी सवाईसिंह पुत्र बच्चन सिंह जाति राजपूत सा.दे. खातेदारी दर्ज रिकार्ड है। पत्रावली में संलग्न नामान्तकरण संख्या 388 निर्णय दिनांक 27.05.2003 ग्राम सोटवारा के अनुसार खसरा नम्बर 486 रकबा 4.85 हैक्टेयर जो सवाई सिंह पुत्र बच्चनसिंह जाति राजपूत की खातेदारी में दर्ज रिकार्ड है मे से समर्पण पत्र द्वारा 0.12 हैक्टेयर भूमि गै. मु. रास्ते बाबत राजहक में समर्पण की है। अतः उक्त रिकार्ड से स्पष्ट है कि खसरा नम्बर 486 में से आवेदक स्वयं द्वारा 0.12 हैक्टेयर भूमि राजहक में रास्ते प्रयोजनार्थ समर्पण किया है। शेष खसरा नम्बरान आज भी आवेदक के स्वयं की खातेदारी में दर्ज रिकार्ड है। चूंकि स्वयं खातेदार द्वारा अपनी खातेदारी भूमि में से रास्ता प्रयोजनार्थ भूमि राजहक में समर्पण किये जाने के पश्चात उस भूमि से उसके खातेदारी अधिकार समाप्त हो जाते है वर्तमान में भूमि राजकीय होने से अनावेदक नम्बर 2 को नियमानुसार कार्यवाही करने के अधिकार कानूनन प्राप्त है। उक्त सभी तथ्यों के परिपेक्ष्य में प्रकरण प्रथम दृष्टया आवेदक का नहीं बनता है। चूंकि प्रार्थना पत्र में वर्णित खसरा नम्बर 486/4.73, 492/1.51, 743/491/1.10 हैक्टेयर की खातेदारी सवाईसिंह पुत्र बच्चनसिंह जाति राजपूत सा.दे. खातेदार दर्ज रिकार्ड है जो स्वयं आवेदक की खातेदारी भूमि है। शेष भूमि खसरा नम्बर 754/486 रकबा 0.12 हैक्टेयर गै.मु. रास्ते के रूप में दर्ज रिकार्ड है अतः उक्त भूमि पर सुविधा संतुलन आवेदक का नहीं बनने के कारण अपूर्णीय क्षति आवेदक को नहीं हो रही है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय ने विचाराधीन निर्णय से प्रार्थी अपीलांट का आवेदन खारिज करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। विचारण न्यायालय

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

का निर्णय विधि सम्मत है। हम इसमे कोई विधिक त्रुटि नहीं पाते है। अतः इसमें हस्तक्षेप करना हम उचित नहीं समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 15.10.24 को सरे इजलास सुनाया गया।

(बलदेवाराम धोजक)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)